

हरियाणा में महिला शिक्षा

पवन कुमार

शोधार्थी, शिक्षा विभाग, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, डीसी कम्पौड, धारवाड़

भूमिका

नारी को संसार का सबसे बहुमूल्य रत्न माना गया है। सृष्टि को संचालित करने का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व नारी कंधों पर रहा है। यह अपने आप में एक अद्भुत रोमांचक और मधुर अनुभव है। प्रचीन समाज के परिपेक्ष्य में स्त्रियों को मातृ स्वरूपा, जन-समाज की जन्मदात्री और माँ भगवती स्वरूपा माना गया है। वैदिक संस्कृति में स्त्रियों को ज्ञान, शक्ति और श्री का प्रतीक माना जाता है। समाज में पुरुष के बिना स्त्री को और स्त्री के बिना पुरुष को अधूरा माना गया है। इसलिये स्त्री को "अर्धांगिनी" कहा जाता है। संस्कृति के विकास में स्त्रियों का विशेष योगदान रहा है। गृहस्थी रूपी वाहन के दो पहियों होते हैं, जिसमें एक पहिया स्त्री होती है। और दुसरा पुरुष होता है। अतः स्त्री के बिना गृहस्थी रूपी वाहन नहीं चल सकता है। प्रकृति ने उसे माँ बनने की क्षमता की अमूल्य भेंट दी है, जो नारी को पूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करती है। मनुष्य जीवन को स्थायित्व प्रदान करने का मुख्य श्रेय भी स्त्री को ही जाता है। मनुस्मृति के अनुसार-

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥

अर्थात् "जहाँ नारी का मान-सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। जहाँ पर इसकी प्रतिष्ठा नहीं होती, वहाँ समस्त क्रियायें विफल हो जाती हैं।" इस प्रकार स्त्री का समाज में विशेष महत्व है। समाज की प्रगति में स्त्रियों महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारत की पवित्र भूमि में पार्वती, षटरूपा, अरुन्धती, सावित्री, अनुसूया, सीता, सुलोचना, गार्गी, मैत्रेयी, रुसा (चिकित्सा) मीरा, रत्नावली, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा (साहित्य) आदि विदूषी महिलायें हुयी हैं। वीरांगनाओं में आज भी विद्युल्लता, ताराबाई, दुर्गावती, जीजाबाई, लक्ष्मीबाई, अवन्ती बाई आदि ने भी अपना बर्चस्व स्थापित किया। भारत की नारियों ने केवल अपने घर पर चहार दीवारी में कैद रही, अपितु त्याग और बलिदान की साकार मूर्ति बन कर भी प्रेरक शक्ति के रूप में सामने आईं। इस प्रकार नारी ने प्रारम्भिक काल से ही अपनी अभूतपूर्व प्रतिभा का परिचय दिया है। हमारा अतीत प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने वाली नारियों की गरिमा से मण्डित रहा है, किन्तु मातृ सत्ता से लुप्त होकर पितृसत्ता के आगमन के साथ ही नारी पराभव की स्थिति की ओर उन्मुख हुई। नारी को भोग्य वस्तु के रूप में देखा जाने लगा, जब कि सही मायने में समय के सृष्टि चक्र में उसका स्थान केवल भोग्या मात्र न हो कर सृष्टि चक्र के केन्द्र बिन्दु के समान है। जिसकी विनाय पर ही मानव जीव का इतिहास पर्वताद्वाडू फेर दिया तो पंजीवाद और साम्राज्यवाद के महारस ने उसे एक भोग्या के रूप में बदल दिया। उपभोक्तावाद, बाजारीकरण और पैसा पीटने के सम्मिलित महोत्सव में नारी विज्ञापन से नत्थी हो गयी। स्त्री शिक्षा को उद्देश्य बना कर भारतीय शिक्षा का इस प्रकार विकास किया गया कि वर्तमान समय में लड़कियों की शिक्षा का उचित विकास हो।

एक समय स्त्री शिक्षा पर खुले आम आलोचना होती थी। अभिभावक लड़कियों को शिक्षा देना पसन्द नहीं करते थे। स्वतन्त्रता के पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र में नारी शिक्षा एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। हरियाणा



सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है। समय-समय पर हरियाणा सरकार स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। जिस कारण स्त्री साक्षरता दर बढ़ी है। स्त्री शिक्षा के विकास का स्तर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पहले की अपेक्षा सुधरा है। यह हरियाणा सरकार की मुफ्त स्त्री शिक्षा नीतियों का ही फल है कि आज स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा का स्थान अग्रणीय है क्योंकि अगर समाज शिक्षित होगा तो तभी सम्पूर्ण समाज का विकास सम्भव होगा। इसलिए समाज का विकास करने के लिए सबसे पहले समाज को शिक्षित करना जरूरी है। अगर समाज शिक्षित होगा तो तभी वह अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सजग रह सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर हरियाणा सरकार स्त्री शिक्षा पर अपेक्षाकृत ध्यान दे रही है।

भारत में स्त्री शिक्षा और उसका महत्व

स्वतन्त्रता मिलते ही लोगों में शैक्षिक जागृति उत्पन्न हो गयी। लोग प्रचलित शिक्षा के गुण दोषों पर ध्यान देकर बालोपयोगी शिक्षा की आवश्यकता अनुभव करने लगे थे। वर्तमान भारतीय समाज एवं संस्कृति का विघटन होता रहा है, जो राष्ट्र के विकास में बाधक था। वर्तमान भारतीय समाज के परिवर्तन में शिक्षा अपनी विधायक भूमिका नहीं निभा सकी। स्वातन्त्रोत्तर काल में देश की शिक्षा पद्धति को राष्ट्रीय हितों के अनुकूल विकसित करने हेतु अनेक शिक्षा आयोगों ने अपनी संस्तुतिया प्रस्तुत की है। केन्द्रीय ने 1949 ई० का राधाकृष्णन आयोग, 1953ई० का मुदालियर आयोग और 1964 ई० का कोठारी आयोग नियुक्त किया तथा 1986 में नयी शिक्षा नीति निर्धारित की और भारत के लिये उपयोगी शिक्षा को देने के लिये सुझाव दिये गये। दोनों विश्व युद्धों के परिणामस्वरूप लोगों की शैक्षिक मान्यतायें बदल गयी। अब लोग राष्ट्रीयवादी प्रवृत्ति को संकीर्ण मानकर अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने लगे हैं। विश्व के प्रगतिशील देशों की प्रगति देखकर अपने यहाँ औद्योगिक, और भौतिक उन्नति लाने का प्रयास किया जाने लगा।

वर्तमान समय में शिक्षा सभी वर्गों को दी जाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिये सम्पूर्ण देश में 6 से 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गयी। शिशुओं के लिये “लेख केन्द्रों” की व्यवस्था प्राथमिक विद्यालयों में की गई। जो बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, उनके लिये अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की गई। माध्यमिक शिक्षा में व्यवसायीकरण की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। शिक्षा देश के विकास की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और इसीलिए इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है। स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है।

सर्व-सुलभ प्राथमिक शिक्षा और सर्व-सुलभ साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने की वर्तमान कार्य नीतियों इस बात पर आधारित है कि संस्थानों की उच्चतर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मांग और पूर्ति दोनों में सामंजस्य बिठाना और उपाय करना जरूरी है। इन उपायों में बच्चों द्वारा स्कूलों में पढ़ाई जारी रखने और दाखिलों की संख्या के रूप में उपलब्धियों को बेहतर बनाना लड़कियों और सुविधाविहीन समुहों को शिक्षा उपलब्ध करवाने के अधिक कठिन पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करना है। आठवीं योजना में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम हरियाणा राज्य में भी लागू किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाना है तथा स्त्री शिक्षा में भी पर्याप्त सुधार करना है। 1992 की कार्य योजना में, माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं के दाखिले की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष योजना तैयार

करने तथा शिक्षा में गैर सरकारी संगठनों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आठवीं योजना के दौरान मौजूद छात्रावासों को गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाने में निम्नलिखित प्रकार की सहायता देने के उद्देश्य से योजना चलाने का निर्णय लिया गया –

- आवश्यक फर्नीचर, बर्तन और बुनियादी रोजमर्रा के खर्चों के लिए 2500 रुपये प्रति छात्रावासी एक मुश्त अनुदान के रूप में अनावर्ती सहायता।
- भोजन, बावर्ची और बेयरो के वेतनों के लिए प्रति छात्रावासी 7500 रुपये की वार्षिक आवर्ती सहायता।

ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को अच्छे स्तर की आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत में 1985-86 में प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने की योजना शुरू की। इन विद्यालयों में दाखिला छठी कक्षा से होता है तथा प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक तिहाई लड़कियों की भर्ती सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये जाते हैं। इन विद्यालयों में लड़कियों की संख्या 30 प्रतिशत है। 12वीं की जनगणना के अनुसार सात वर्ष या उससे अधिक उम्र वाली जनसंख्या की राष्ट्रीय साक्षरता दर 1981 में 43.56 से बढ़कर 2001 में 52.21 प्रतिशत हो गई है। जिसमें महिलाओं की साक्षरता में 6.45 प्रतिशत वृद्धि हुई है और 2009 में यह प्रतिशत लगभग 8 के आस-पास है।

राज्य सरकारों के साथ हुई क्षेत्रीय बैठकों में शिक्षा में स्त्रियों की स्थिति मामले पर विशेष समीक्षा की गई। साथ ही सभी राज्यों को बताया गया कि सभी शैक्षिक प्रक्रियाओं में स्त्रियों के पक्ष को आवश्यक शामिल किया जाना चाहिए। वर्ष 1996-97 के दौरान कुछ दाखिले में बालिकाओं का अनुपात प्राथमिक स्तर पर 43 प्रतिशत, माध्यमिक स्तर पर 39 प्रतिशत, उच्चतर व उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 34 प्रतिशत है। स्नातक स्तर से नीचे अन्य स्तरों पर 18 प्रतिशत और उच्च शिक्षा के स्तर पर 33 प्रतिशत है। संशोधित नीतिगत प्रावधानों में भविष्य में अध्यापिका की भर्ती में आधी स्त्रियाँ होनी चाहिए। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 102587 पदों पर शिक्षकों की भर्ती में 48.52 प्रतिशत महिलाएं हैं। 31 मार्च 1993 को लड़कियों के लिए ऐसे केन्द्रों की संख्या 79071 थी जिनकी सहायता एन.एफ.ई को देगी ताकि पूर्णतया लड़कियों के लिए एन.एफ.ई केन्द्रों और सहशिक्षा केन्द्रों का अनुपात 25:75 से बढ़ाकर 40:60 करके लड़कियों को अधिक सुविधा दी जा सके।

हरियाणा का इतिहास


जिस क्षेत्र को आज हरियाणा के नाम से जाना जाता है वह वैदिक काल के अंत समय का मध्यमा क्षेत्र है और हिंदू धर्म का जन्मस्थान माना गया है। इसी क्षेत्र में आर्यों का पहला स्तुति गान गाया गया और सबसे प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। घग्गर घाटी में 3000 ईसा पूर्व से शहरी बस्तियां बनीं। लगभग 1500 ईसा पूर्व में आर्य जनजाति इस क्षेत्र में आक्रमण करने वाले कई समूहों में सबसे पहली थी। इस क्षेत्र में भारत साम्राज्य का केंद्र था जिससे इस देश को इसका नाम भारत मिला। कौरव और पांडवों की महाकाव्य में वर्णित लड़ाई भी इस ही क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में हुई। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य में शामिल हो गया। बाद में यह मुगलों की शक्ति का आधार बन गया। सन् 1526 में पानीपत की लड़ाई ने भारत में मुगल शासन की स्थापना की। हरियाणा राज्य 44,212 वर्ग किमी. में फैला है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है जो कि पंजाब की भी राजधानी है। इस उत्तर भारतीय



राज्य की साक्षरता दर 71.4 प्रतिशत है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या 25,353,081 है और इसका जनसंख्या घनत्व 573.4 वर्ग किमी. है। राज्य में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 877 महिलाओं का है। राज्य की जनसंख्या में हिंदुओं की बहुतायत है और अन्य धर्मों के लोग जैसे मुस्लिम, सिख, जैन और ईसाई भी यहां रहते हैं। इसके अलावा अन्य समुदायों के लोग जैसे दलित और वाल्मिकी भी यहां की आबादी का हिस्सा हैं।

हरियाणा में शिक्षा

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर 76.64 प्रतिशत है। राज्य में कई सरकारी और निजी स्कूल हैं जो या तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या फिर हरियाणा स्कूली शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं। हरियाणा स्कूली शिक्षा बोर्ड साल में दो बार स्कूली शिक्षा के सभी स्तर पर परीक्षा आयोजित करता है। राज्य में रोहतक, सोनीपत और गुडगांव उच्च शिक्षा के हब बनकर उभरे हैं। राज्य में कई प्रौद्योगिकी, शोध प्रबंधन आधारित कॉलेज हैं। हरियाणा का राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र देश का एकमात्र न्यूरोसाइंस शोध और शिक्षा संस्थान है।



हरियाणा में स्त्री शिक्षा का महत्व

हरियाणा एक नवम्बर 1966 से पहले पंजाब राज्य का एक भाग था। हरियाणा पंजाब राज्य का पिछड़ा हुआ इलाका था। नवम्बर 1966 को भारत के मानचित्र पर हरियाणा राज्य का उदय हुआ। इसका क्षेत्रफल 44.22 वर्ग कि.मी. है तथा उस समय की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या 183.18 लाख है इनमें से 122.73 लाख लोग गामीण क्षेत्रों तथा 44.45 लाख लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। हरियाणा में साक्षरता 55.33 प्रतिशत है।

इसी प्रकार हरियाणा में भी महिलाओं की सामाजिक स्थिति पिछड़ी हुई है विशेषकर गामीण क्षेत्रों में। हरियाणा पुरुष प्रधान क्षेत्र है। पितृ सत्तात्मक परिवारों में पुरुष मुखिया होता है। सम्पत्ति पर अधिकार, वंश नाम सभी के पुरुष अगणी है। परिवार में समाज में पुत्र की माँ होना गर्व दिलाता है। अतः यहाँ पुत्र जन्म ही आकांक्षित है। संरचनात्मक विरोधाभास के रूप में एक ओर स्त्री परिवार व समाज की रीढ़ है तो दूसरी ओर कन्या जन्म उपेक्षित है।

हरियाणा राज्य के बने हुए 43 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन पिछले 43 वर्षों में हरियाणा ने सभी क्षेत्रों में विकास किया है। जिनमें शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के लोगों ने महत्वपूर्ण विकास किया है। विशेष रूप से स्त्री शिक्षा के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 20वीं शताब्दी के बाद भारत में शिक्षा के प्रति जागरूकता का आरम्भ हुआ। हरियाणा में भी इस विषय में कोई अपवाद नहीं। सरकार ने भी शिक्षा के क्षेत्र में अपने उत्तरदायित्वों को गम्भीरता से लिया है। हरियाणा में प्राइवेट संस्थाओं ने भी स्त्री शिक्षा के प्रसार का कार्य आरम्भ किया। जैसे आर्य समाज, देव समाज, सिंह समाज और चीफ खालसा दीवान तथा मुस्लिम अन्जुमने ने इस दिशा में विशेष प्रयास किए हैं। ईसाई मिशनरी ने भी उन मुस्लिम महिलाओं के लिए जो पर्दे में रहती थीं उनकी सुविधा के अनुसार शिक्षा केन्द्र खुलवाए। स्त्री

शिक्षा उन्नति के लिए 1947 विभिन्न कदम उठाए गए जैसे छात्राओं के लिए स्कूलों में वृद्धि, छात्राओं की संख्या में वृद्धि तथा विभिन्न परीक्षाओं में उनका शामिल होना आदि।

कुल मिलाकर राज्य में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पिछले 50 वर्षों में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। महिलाओं में साक्षरता जो कि 1966 में 9.20 प्रतिशत जो कि 2001 में बढ़कर 40.94 प्रतिशत हो गई।

हरियाणा में निरक्षरता या निम्न शैक्षणिक स्थिति

हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर लड़कीयों में लड़कों की अपेक्षा कम रहा है जिसका कारण सामाजिक विशमता एवं कुरीतियां रही हैं। हरियाणा में महिलाएं एक लम्बे अन्तराल से सामाजिक प्रताड़ना, उत्पीड़न और अन्याय की शिकार रही हैं उनकी इस स्थिति के लिए उनकी अशिक्षा भी उत्तरदायी रही है। आजादी के 50 वर्षों के बाद भी उनकी साक्षरता की स्थिति पुरुषों की तुलना में निम्न स्तर की रही है जो कि तालिका 1 से स्पष्ट है

तालिका – 1 भारत में पुरुषों-स्त्रियों में 'साक्षरता का अंतर' (1951 से 2011)

| वर्ष | कुल | पुरुष | महिलाएं | अन्तर |
|------|-------|-------|---------|-------|
| 1951 | 18.33 | 27.16 | 8.86 | 18.30 |
| 1961 | 28.33 | 40.40 | 15.35 | 25.05 |
| 1971 | 34.45 | 45.95 | 21.97 | 23.98 |
| 1981 | 43.57 | 56.38 | 29.76 | 26.62 |
| 1991 | 52.21 | 64.13 | 39.29 | 24.84 |
| 2001 | 65.38 | 75.85 | 54.16 | 21.69 |
| 2011 | 74.04 | 82.14 | 65.46 | 16.68 |

इस तालिका 1 के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर जो 1951 में 18.33 प्रतिशत थी। यह बढ़कर 2001 में 65.38 प्रतिशत हो गई है तथा 2011 में ये बढ़कर 74.04 प्रतिशत हो गई है। जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 2001 में 75.85 तथा यह बढ़कर 2011 में 82.14 प्रतिशत हो गई जो कि महिलाओं की साक्षरता दर से अधिक है। इसी प्रकार हरियाणा में भी 2001 की कुल साक्षरता दर 67.91 थी। जो बढ़कर 2011 में 76.64 हो गई। महिला साक्षरता दर 2001 के अनुसार 59.61 है जो बढ़कर 2011 में 66.77 हो गई है। अतः स्पष्ट है कि महिला साक्षरता दर में लगातार वृद्धि हो रही है परन्तु फिर भी पुरुषों से निम्न ही रही है जो तालिका 2 में स्पष्ट है—

तालिका 2 – हरियाणा में साक्षरता की दर (1971 से 2011)

| साक्षरता | | | | |
|----------|--------|--------|---------|--|
| वर्ष | कुल | पुरुष | महिलाएं | |
| 1971 | 25.71 | 38.9 | 10.32 | |
| 1981 | 37.13 | 51.86 | 20.04 | |
| 1991 | 55.85 | 69.01 | 40.47 | |
| 2001 | 67.91 | 78.49 | 55.73 | |
| 2011 | 76.64 | 85.38 | 66.77 | |
| कुल | 263.24 | 323.83 | 193.33 | |

इस प्रकार आंकड़ों से ज्ञात होता है कि कुल जनसंख्या में से वर्ष 2011 तक 76-64 प्रतिशत लोग साक्षर है जिनमें पुरुषों की दर 85.38 व महिलाओं की 66.77 हैं हालांकि जैसा कि आंकड़ों से ज्ञात होता है कि हरियाणा में 1971 के बाद शिक्षा की दर में वृद्धि हुई है लेकिन यह वृद्धि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक है। अगर हरियाणा में जिलेवार पुरुष व महिला साक्षरता दर देखे तो यह भी पुरुषों की ही अपेक्षा महिलाओं में ही साक्षरता दर कम है जैसा कि नीचे की तालिका 3 में दिया गया है –

तालिका 3 – हरियाणा में जिलेवार पुरुष व महिलाओं में साक्षरता दर (2001 से 2011)

| जिलेवार साक्षरता दर | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-----------------|-------|-------|------|-------|------|
| क्रम | जिला का नाम | कुल साक्षरता दर | | पुरुष | | महिला | |
| | | 2001 | 2011 | 2001 | 2011 | 2001 | 2011 |
| 1 | हरियाणा | 67.9 | 76.64 | 78.5 | 85.4 | 55.7 | 66.8 |
| 2 | पंचकुला | 74.0 | 83.4 | 80.9 | 88.6 | 65.7 | 77.5 |
| 3 | अम्बाला | 75.3 | 82.9 | 82.3 | 88.5 | 67.4 | 76.6 |
| 4 | यमुनानगर | 71.6 | 78.9 | 78.8 | 85.1 | 63.4 | 72.0 |
| 5 | कुरुक्षेत्र | 69.9 | 76.7 | 78.1 | 83.5 | 60.6 | 69.2 |
| 6 | कैथल | 59.0 | 70.6 | 69.2 | 79.3 | 47.3 | 60.7 |
| 7 | करनाल | 67.7 | 76.4 | 76.3 | 83.7 | 58.0 | 68.2 |
| 8 | पानीपत | 69.2 | 77.5 | 78.5 | 85.4 | 58.0 | 68.2 |
| 9 | सेनीपत | 72.8 | 80.8 | 83.1 | 89.4 | 60.7 | 70.9 |
| 10 | जींद | 62.1 | 72.7 | 73.8 | 82.5 | 48.5 | 61.6 |
| 11 | फतेहबाद | 58.0 | 69.1 | 68.2 | 78.1 | 46.5 | 59.3 |
| 12 | सिरसा | 60.6 | 70.4 | 70.1 | 78.6 | 49.9 | 61.2 |
| 13 | हिसार | 64.8 | 73.2 | 76.6 | 82.8 | 51.1 | 62.3 |
| 14 | भिवानी | 67.4 | 76.7 | 80.3 | 87.4 | 53.0 | 64.8 |
| 15 | रोहतक | 73.7 | 80.4 | 83.2 | 88.4 | 62.6 | 71.2 |
| 16 | झज्जर | 72.4 | 80.8 | 83.3 | 89.4 | 59.6 | 71.0 |
| 17 | महेंद्रगढ़ | 69.9 | 78.9 | 84.7 | 91.3 | 54.1 | 65.3 |
| 18 | रेवाड़ी | 75.2 | 82.0 | 88.4 | 92.9 | 60.8 | 70.5 |
| 19 | गुड़गांव | 78.5 | 84.4 | 88.0 | 90.3 | 67.5 | 77.6 |
| 20 | फरीदाबाद | 76.3 | 83.0 | 85.1 | 89.9 | 65.5 | 75.2 |
| 21 | मेवात | 43.5 | 56.5 | 61.2 | 73.0 | 23.9 | 37.6 |
| 22 | पलवल | 59.2 | 70.3 | 75.1 | 82.6 | 40.8 | 56.4 |

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि हरियाणा के लगभग सभी जिलों में वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के दौरान लगभग सभी जिलों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की साक्षरता की दर कम है। इस राज्य में साक्षरता दर की कमी का कारण यह नहीं है कि यहां स्कूलों की कमी है बल्कि लड़कियों को स्कूल में न भेजना

या पढ़ाई को बीच में ही छुड़वाने की यहां के लोगों की छोटी मानसिकता हैं। व अन्य बहुत से कारण है जैसे – गरीबी, शिक्षा को जरूरी न समझना, घरेलू कार्यों की मजबूरियां, घर में बच्चों व अन्य सदस्यों की देखभाल करना आदि हैं। इसका कारण यह भी हैं कि हरियाणा में लड़को की पढ़ाई पर ज्यादा जोर दिया जाता हैं। जबकि लड़कीयां आगे पढ़ना चाहती हैं तब भी उन्हें पढ़ाया नहीं जाता या उनकी पढ़ाई बीच में ही रोक दी जाती हैं। हरियाणा का गढ़ माना जाने वाला जिला जींद की सीमा रानी जिला परिषद चैयरमैन (जिला जींद) 2005 में निर्वाचित ने

साक्षात्कार के दौरान बताया कि यहां पुरुष प्रधान मानसिकता वाले बहुत से परिवार लड़कीयां को न पढ़ाने या अधिक न पढ़ाने के पीछे यह तर्क देते है कि लड़की को पढ़ाई की आवश्यकता नहीं हैं

आखिर शादी के बाद उसे घर ही संभालना हैं तथा ऐसे में उसे घर के काम-काज में निपुण होना चाहिए ताकि शादी के बाद ससुराल में वह एक कुशल गृहणी साबित हो सके। जबकि हरियाणा के विकसित जिलों में गिना जाने वाला जिला कुरुक्षेत्र की कमलेश ब्लाक समिति मੈम्बर (लाडवा) कुरुक्षेत्र ने साक्षात्कार के दौरान बताया कि यहां लोगो की यह मानसिकता है कि यदि लड़की को अधिक पढ़ाया-लिखाया गया तो उसके लिए वर भी अधिक पढ़ा-लिखा दुढ़ना होगा और अधिक पढ़े लिखे वर के लिए उन्हे अच्छा खासा दहेज जुटाना पड़ेगा। महिलाओं का निम्न साक्षरता स्तर होने के कारण सरकार द्वारा महिला साक्षरता वृद्धि हेतु निम्न कार्य-नितियां अपनाई गई –

- प्रकार्यात्मक साक्षरता हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
- अनौपचारिक शिक्षा
- सर्व शिक्षा अभियान 2007

तालिका 4 – हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की दर (1971 से 2011)

| कुल | पुरुष | महिलाएं |
|---------------|---------------|---------------|
| 68.72 प्रतिशत | 68.27 प्रतिशत | 57.50 प्रतिशत |

तालिका 5 – शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर

| कुल | पुरुष | महिलाएं |
|---------------|---------------|---------------|
| 78.96 प्रतिशत | 87.84 प्रतिशत | 73.48 प्रतिशत |

ऊपर दिखाए गए आंकड़ों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लड़कियों का शिक्षा में योगदान बड़ा है। लड़कियों का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान बढ़ने के बावजूद लड़के और लड़कियों के बीच भेद-भाव कम नहीं हुआ है और स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस पिछड़ेपन के अनेक कारण जैसे अंधविश्वास, परंपरावादी संकीर्ण विचार-धारा है परन्तु यदि समाज के बुद्धिजीवी वग छात्राओं की शिक्षा में सुधार के लिए आगे आए तो वो दिन दूर नहीं जब वे अपने भाइयों के बराबर स्थान पर जाएगी और उनसे कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी।

हरियाणा सरकार द्वारा स्त्री शिक्षा के प्रति चेष्टा

हरियाणा राज्य ने प्रारम्भिक व माध्यमिक स्तर की 1.2 कि.मी. के दायरे में शैक्षणिक सुविधाएं देने की दिशा में प्रशंसनीय काम किया है। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार ने उच्च स्तर पर मुफ्त शिक्षा और प्राइवेट परीक्षा देने की सुविधाएं प्रदान की हैं तथा उनको मुफ्त किताबें, वर्दी तथा वजीफे प्रदान किए हैं जो कि इस दिशा में बहुत अच्छा कदम हैं। राज्य सरकार ने "दोपहर के भोजन" की योजना आरम्भ की है। इस योजना को राज्य के 44 खण्डों में चलाया जा रहा है तो रोहतक, भिवानी, हिसार, सिरसा, महेन्द्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों में है। इस कार्यक्रम से लगभग 10000 विद्यालयों के 12 लाख विद्यार्थियों लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार ने 125 बालिका-प्राथमिक विद्यालय मार्च 1995 के अन्त तक खोले हैं। सन् 1955-96 में 201 विद्यालय और खोले गए जिससे हरियाणा में कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़कर 8533 हो गई। विश्व बैंक की सहायता से चलाया जाने वाला कार्यक्रम जिला प्राथमिक शिक्षा योजना कैथल, जींद, हिसार और सिरसा जिलों में चलाया गया। सन् 1996-97 के दौरान 146 राजकीय प्राथमिक स्कूल 160 राजकीय माध्यमिक विद्यालय और 150 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का स्तर बढ़ाया गया। आज हरियाणा सरकार के प्रयासों के कारण 300 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 220 राजकीय माध्यमिक विद्यालय तथा 180 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुल चुके हैं।

स्त्री शिक्षा के विकास पर मुफ्त स्त्री शिक्षा नीति का प्रभाव

एक नवम्बर, 1966 को जब हरियाणा राज्य का जन्म हुआ था तब यह एक पिछड़ा हुआ प्रदेश था। उसके पश्चात् राज्य सरकार और लोगों ने अपनी मेहनत और लगन के बल से प्रदेश को यह ख्याति दिला दी कि यह प्रदेश विकास प्रक्रिया का 'आदर्श राज्य' बन गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रदेश में सन्तोषजनक विकास हुआ है। प्रदेश की साक्षरता दर 66.65 प्रतिशत है जिसमें स्त्री साक्षरता दर 59.21 प्रतिशत है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य जहां स्त्रियों की शिक्षा स्नातक कक्षा तक निःशुल्क प्रदान की जाती है। यह निःशुल्क शिक्षा 'मुफ्त स्त्री शिक्षा नीति' के तहत सन् 1991 में 10वीं कक्षा तक प्रदान की जानी शुरू हुई है। उसके बाद अगले वर्ष अर्थात् सन् 1992 से निःशुल्क शिक्षा 10वीं कक्षा से बढ़ाकर स्नातक कक्षा तक दी जाने लगी। इस शिक्षा नीति के कारण ही आज हरियाणा राज्य की स्त्री साक्षरता दर का अन्य राज्य की तुलना के कहीं ज्यादा प्रतिशत हैं।

सन्दर्भ गन्थ सूची

- अगवाल, भी० स्व०, (1982) हरियाणा में स्त्री शिक्षा
 उपाध्याय, भ० (1975) भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस दिल्ली,
 श्रीवास्तव, डी०एन०(2000) अनुसंधान विधियाँ, साहित्य प्रकाशन टागरा
 कपिल, एच०के०(1989) अनुसंधान विधियाँ, हर प्रसाद भागव आगरा
 कौल लो० (1998) शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली, विकास पब्लिशर्स नई दिल्ली
 गुप्ता, एस०पी० (1992) सांख्यिकी के सिद्धांत सुल्तानचन्द एण्ड सन्स नई दिल्ली,
 थोमस पी०(1964) युगों से महिलाएं, एशिया पब्लिशिंग हाउस बम्बई
 शिक्षा विभाग हरियाणा (1994) बजट की प्रति
 रस्तोगी, कृ०गो० (1995) शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़
 भारतीय संविधान, (1950) 15, 16 अनुच्छेद
 मनुस्मृति (1909) बम्बई : निर्णय सागर प्रेस अध्याय 3, श्लोक 56, पृ० 288
 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग नई दिल्ली